इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 255]   भोपाल, मंगलवार, दिनांक 21 जून 2016—ज्येष्ठ 31, शक 1938

पशुपालन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जून 2016

क्र. एफ-23-44-2002-पैंतीस.—भारत सरकार के दिशा-निर्देश दिनांक 30 जनवरी 1991 के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य में मध्यप्रदेश राज्य पशु कल्याण सलाहकार मण्डल के नाम से ज्ञात एक मण्डल का निम्नानुसार गठन करती है, अर्थात् :—

1. **मण्डल का गठन.**—मध्यप्रदेश राज्य पशु कल्याण सलाहकार मण्डल के नाम से ज्ञात एक मण्डल का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति समाविष्ट होंगे, अर्थात् :—

1. भारसाधक मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग—अध्यक्ष
2. अध्यक्ष, कार्य परिषद् मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड, भोपाल—उपाध्यक्ष
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग—सदस्य
4. विधान सभा के दो चयनित सदस्य—सदस्य
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग—सदस्य
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—सदस्य
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग—सदस्य
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग—सदस्य
9. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग—सदस्य
10. चीफ वाईल्ड लाईफ वार्डन, मध्यप्रदेश—सदस्य

11. संचालक, पशुपालन विभाग, मध्यप्रदेश—सदस्य सचिव

12. प्रबंध संचालक, पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, भोपाल—सदस्य

13. भारतीय वन्य जीव कल्याण बोर्ड का एक प्रतिनिधि—सदस्य

14. पशु कल्याण से जुड़े 5 अशासकीय प्रतिनिधि—सदस्य

15. पशु कल्याण से जुड़ी अधिकतम 10 संस्थाओं के प्रतिनिधि—सदस्य.

स्पष्टीकरण.—(क) कार्यपरिषद् अध्यक्ष, मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड, मण्डल के पदेन उपाध्यक्ष होंगे.

(ख) संचालक, पशुपालन विभाग, राज्य पशु कल्याण सलाहकार मण्डल का सदस्य सचिव होगा.

(ग) पांच अशासकीय सदस्य होंगे जिसमें से दो का नामांकन राज्य पशु कल्याण सलाहकार मण्डल द्वारा एवं तीन का नामांकन विभाग के मंत्री द्वारा मण्डल के गठन के उपरान्त किया जाएगा.

(घ) अशासकीय सदस्यों का कार्यकाल नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष का होगा.

2. **राज्य पशु कल्याण सलाहकार मण्डल के कृत्य.**—राज्य पशु कल्याण सलाहकार मण्डल के निम्नलिखित कृत्य होंगे, अर्थात् :—

(1) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) के उपबंधों का पर्यवेक्षण एवं प्रशासन करना;

(2) पशुओं के प्रति क्रूरता या बर्ताव के निवारण के संबंध में राज्य सरकार को समय-समय पर सलाह देना;

(3) पशुओं के परिवहन के उपयोग किए जाने वाले यानों की संरचना में सुधार हेतु राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन या यान के स्वामी को सुझाव देना;

(4) पशुओं के लिए शेडों, पानी के होज के निर्माण एवं आवश्यक पशु चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने हेतु समय पर निर्णय लेना;

(5) पशुवध गृहों की संरचना, रख-रखाव के संबंध में राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकरणों को आवश्यक सुझाव देना, जिससे पशुवध के दौरान होने वाली अनावश्यक यातना तथा दर्द से पशुओं को निजात दिलायी जा सके;

(6) स्थानीय प्रशासन द्वारा आवारा पशुओं को पकड़ते समय पशुओं को हो सकने वाली यातना तथा दर्द से निजात दिलाने हेतु आवश्यक कदम उठाना;

(7) असहाय, वृद्ध पशुओं तथा वन्य प्राणियों की सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं को पिंजरा, बल्लियां, आश्रय स्थल के निर्माण आदि के लिए आवश्यक अनुदान उपलब्ध कराना;

(8) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण करने के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराना एवं जिला स्तरीय समितियों पर नियंत्रण रखना और उन्हें आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना; और

(9) आम जनता द्वारा पशुओं को सामान्यतया दी जाने वाली अनावश्यक यातनाओं के संबंध में जन जागरण करना एवं पशुओं के स्वास्थ्य के संरक्षण हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाने हेतु राज्य सरकार को सुझाव देना.

3. **सदस्यों की योग्यता एवं सेवा की शर्तें :—**

(1) 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति मण्डल का सदस्य नहीं हो सकेगा;

(2) वह भारतीय नागरिक हो;

(3) उसने समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो;

(4) वह सद्चरित्र हो तथा मद्यपान का आदी न हो;

(5) मण्डल का कोई नामनिर्दिष्ट सदस्य अध्यक्ष को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किए जाते ही यह प्रभावी हो जाएगा;

(6) मण्डल का कोई सदस्य उस दशा में सदस्य नहीं रह जाएगा जब वह अपना पद त्याग देता है या दिवालिया हो जाता है या किसी दाण्डिक अपराध का सिद्धदोष ठहराया जाता है या यदि वह अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना मण्डल की दो लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहता है;

(7) किसी सदस्य की मृत्यु या पद त्याग की दशा में अथवा ऐसे सदस्य, जिसे राज्य शासन द्वारा हटाया गया है, की शेष कालावधि के लिए कार्यकारी अध्यक्ष उस वर्ग के अन्य व्यक्ति को नामांकित कर सकेगा.

4. **मण्डल का मुख्यालय.**—राज्य पशु कल्याण सलाहकार मण्डल का मुख्यालय भोपाल में होगा.

5. **राज्य सरकार द्वारा निदेशों का दिया जाना.**—राज्य सरकार मण्डल को उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निदेश दे सकेगी. राज्य सरकार लिखित में आदेश द्वारा मण्डल के किसी भी संकल्प या आदेश का निष्पादन निलंबित कर सकेगी और यदि आवश्यक हो तो किसी कार्य के किए जाने पर प्रतिबंध लगा सकेगी.

6. **सदस्यों का रजिस्टर रखा जाना.**—मण्डल के कार्यालय में सदस्यों का एक रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे, अर्थात् :—

(1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय;

(2) वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश कराया गया था और आदेश क्रमांक;

(3) वह तारीख जिसको सदस्यता समाप्त होनी है.

7. **मण्डल के सम्मिलन.**—(1) मण्डल, वर्ष में कम से कम दो बार सम्मिलन करेगा और वह अपनी कार्यवाहियों के अभिलेख एक कार्यवृत्त पुस्तिका में रखेगा.

(2) मण्डल के सम्मिलन अध्यक्ष द्वारा आयोजित किए जाएंगे, जो, जब वह उपस्थित हो, सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा सम्मिलन की अध्यक्षता की जाएगी.

टीप.—सम्मिलन में गणपूर्ति आधे सदस्यों से होगी और गणपूर्ति के अभाव में सम्मिलन एक घण्टे के लिए स्थगित कर दिया जाएगा और तत्पश्चात् आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए कोई गणपूर्ति अपेक्षित नहीं होगी.

8. **मण्डल के कर्मचारिवृन्द.**—राज्य पशु कल्याण सलाहकार मण्डल के कार्यों के निष्पादन हेतु राज्य सरकार संचालनालय के

लिए स्वीकृत कर्मचारिवृन्द में से निम्नानुसार कर्मचारिवृन्द उपलब्ध कराएगी, अर्थात् :—

(1) उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं—एक

(2) सहायक शल्यज्ञ, पशु चिकित्सा—दो

(3) लेखा अधिकारी (कोष एवं लेखा सेवा)—एक

(4) सहायक ग्रेड-दो—दो

(5) स्टेनोग्राफर (कम्प्यूटर जानने वाला)—दो

(6) भृत्य—पांच

(7) वाहन चालक—चार.

9. **मण्डल की निधि.**—राज्य पशु कल्याण सलाहकार मण्डल की निधि राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों और अन्य स्रोतों जैसे पंजीयन शुल्क, शास्तियां आदि तथा धार्मिक संस्थाओं से प्राप्त दान से मिलकर बनेगी.

10. **मण्डल के कर्तव्य.**—राज्य सरकार के अनुमोदन से मण्डल प्रशासनिक एवं वित्तीय कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए ऐसे नियम एवं उपविधियां बना सकेगा जैसे कि वह उचित समझे.

11. **सचिव के कर्तव्य.**—(एक) सचिव, समय-समय पर, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया जाए, मण्डल का सम्मिलन आयोजित करेगा और प्राप्त समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव प्रस्तुत करेगा.

(दो) सचिव, चार्टड एकाउंटेंट से मण्डल का आय-व्यय का लेखा तैयार करवाएगा और उसे मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करेगा.

(तीन) सचिव, समिति के समस्त कागजातों को तैयार करेगा अथवा करवाएगा तथा उनका निरीक्षण करेगा तथा किसी अनियमितता की दशा में उसकी सूचना कार्यसमिति को देगा.

12. **लेखा अधिकारी के कर्तव्य.**—लेखा अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह मण्डल के लेखाओं को पूर्ण रखे तथा इस निमित्त दी गई मंजूरी के अनुसार व्यय करे.

13. **वित्तीय प्रबंधन.**—(1) सचिव, समस्त राशियों को राष्ट्रीयकृत बैंक में रखेगा तथा प्रत्येक वर्ग के आय-व्यय के संव्यवहार चार्टड एकाउंटेंट से सत्यापित करवाए जाएंगे.

(2) मण्डल के खातों का संचालन सचिव के हस्ताक्षर से किया जाएगा.

14. **व्यय की रीति.**—कोई व्यय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि निम्नलिखित से, उनकी अपनी-अपनी सीमाओं के अनुसार पूर्व स्वीकृति अभिप्राप्त नहीं कर ली जाती, अर्थात् :—

(1) अध्यक्ष—एक लाख रुपए से अधिक किन्तु रुपए तीन लाख से अनधिक;

(2) सचिव—रुपए एक लाख से अनधिक;

(3) मण्डल—समस्त स्वीकृतियां.

15. **उपविधियों के संशोधन की शक्ति.**—मण्डल की उपविधियां, मण्डल की बैठक में, मण्डल के अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात् संशोधित की जा सकेंगी. यदि आवश्यक हो, तो मण्डल के हित में, रजिस्ट्रार, फर्म एवं सोसायटी को उपविधियों में संशोधन का अधिकार होगा.

16. **विघटन.**—मण्डल का विघटन, मण्डल के कुल सदस्यों के 3/5 बहुमत से किया जा सकेगा. विघटन के पश्चात् मण्डल की चल तथा अचल संपत्ति किसी समान उद्देश्यों के लिए कार्य करने वाली संस्था को सौंप दी जाएगी. ऐसी समस्त कार्यवाहियां अधिनियम के उपबंधों के अनुसार की जाएगी.

17. **संपत्ति.**—संस्था की समस्त चल तथा अचल संपत्ति संस्था के नाम से होगी. संस्था की अचल संपत्ति रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं सोसायटी की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय, दान या अन्यथा द्वारा अर्जित या अंतरित नहीं की जाएगी.

18. **रजिस्ट्रार द्वारा बैठक बुलाना.**—संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाये जाने की दशा में या आवश्यक होने पर अन्यथा भी, रजिस्ट्रार को बैठक बुलाने का अधिकार होगा.

19. **विवाद.**—यदि संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो अध्यक्ष को मण्डल की अनुमति से विवाद को सुलझाने का अधिकार होगा. यदि व्यथित पक्षकार विनिश्चय से संतुष्ट न हों तो मामला रजिस्ट्रार को भेजा जा सकेगा और रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सभी पर बंधनकारी होगा.

No. F-23-44-2002-XXXV.—In pursuance of the guidelines of the Government of India, dated 30th January 1991, the State Government, hereby constitutes in the State a Board to be known as the Madhya Pradesh State Animal Welfare Advisory Board as follows, namely:—

1. **Constitution of the Board.**—There shall be constituted a Board to be known as the Madhya Pradesh State Animal Welfare Advisory Board consisting of the following persons, namely:—

1.	Minister-in-charge, Government of Madhya Pradesh, Animal Husbandry Department.	Chairman
2.	Chairman, Executive Council Madhya Pradesh, Gaupalan Evam Pashu Samvardhan Board, Bhopal.	Vice-Chairman
3.	Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Animal Husbandry Department.	Member
4.	Two Selected Members of Legislative Assembly	Member
5.	Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Forest Department.	Member
6.	Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Urban Administration and Development Department.	Member
7.	Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Home Department.	Member
8.	Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Panchayat and Rural Development Department.	Member
9.	Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Education Department.	Member
10.	Chief Wildlife Warden, Madhya Pradesh	Member
11.	Director, Department of Animal Husbandry, Madhya Pradesh	Member Secretary
12.	Managing Director, Pashudhan Evam Kukkut Vikas Nigam, Bhopal	Member

13.	One Member of Indian Wildlife Welfare Board	Member
14.	5 Non-official Members Associated with Animal Welfare	Member
15.	Representatives of Maximum 10 Institutions Associated with Animal Welfare.	Member

Explanation.—(a) Chairman of the Executive Council, Madhya Pradesh Gaupalan Evam Pashu Samvardhan Board shall be the Ex-officio Vice-Chairman of the Board.

(b) Director, Department of Animal Husbandry, shall be the Member-Secretary of the State Animal Welfare Advisory Board.

(c) There shall be five non-official members out of which two shall be nominated by the State Animal Welfare Advisory Board and three shall be nominated by the Minister of the Department after the constitution of the Board.

(d) The tenure of the non-official members shall be of three years from the date of appointment.

2. **Functions of State Animal Welfare Advisory Board.**—Following shall be the functions of the State Animal Welfare Advisory Board, namely:—

(1) to supervise and administer the provisions of Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (No. 59 of 1960);

(2) to advise the State Government from time to time with respect to prevention of cruelty or behaviour being done with animals;

(3) to give suggestions to the State Government or Local Administration or owner of the vehicle for improvement in design of the vehicles used in transportation of the animals;

(4) to take timely decision for construction of shades, water cesspool for animals and provide necessary veterinary assistance;

(5) to give necessary suggestions to the State Government/Local Authorities in respect of the construction and maintenance of Slaughter Houses in a manner so that the animals may get rid of needless suffering and pain during the slaughter;

(6) to take necessary steps to avoid suffering and pain that may cause to the animals at the time of catching of vagabond animals by the local administration;

(7) to provide necessary grant for cage, pole, construction of shelter house etc. to the institutions working in the field of the safety of helpless, old animals and wildlife;

(8) to provide necessary assistance to the institutions working in the field of prevention of cruelty to animals and to keep control over the District Level Committees and to provide necessary financial resources to them; and

(9) to make public awareness regarding unnecessary torture generally caused to the animals by the people and to give suggestions to the State Government for providing necessary resources for protection of health of animals.

3. **Qualifications and conditions of service of the members.**—

(1) No person less than 18 years of age can be a member of the Board;

(2) He/She must be a citizen of India;

(3) He/She must have to execute an undertaking to abide by the rules of the committee;

(4) He/She must possess good character and must not be habitual at intoxication;

(5) Any nominated member of the board may resign through a letter addressed to the Chairman and it shall become effective as soon as it is accepted;

(6) Any member of the Board shall cease to be a member if he resigns or becomes insolvent or is proved to be guilty of any criminal offence or if he remains absent in two consecutive meetings of the Board without obtaining prior permission of the Chairman;

(7) In the case of death or resignation of any member or for the remaining period of such member who is to be removed by the State Government, the Acting Chairman may nominate any other person of that category.

4. **Headquarters of the Board.**—The head quarter of the State Animal Welfare Advisory board shall be at Bhopal.

5. **State Government to give Directions.**—The State Government may give directions to the Board for fulfilling its objects. The State Government may by order in writing suspend the execution of any resolution or order of the Board and if necessary, may prohibit any task which is to be done.

6. **Keeping register of the members.**–There shall be kept in the office of the Board a register of the members which shall contain the following details, namely :—

(1) Name, address and profession of each member;

(2) The date on which members were entered and order number;

(3) The date on which membership is to be expired.

7. **Meetings of the Board.**—(1) The Board shall hold meetings at least twice in a year and shall keep record of its proceedings in a minute book.

(2) The meetings of the Board shall be convened by the Chairman, who shall preside at such meetings when present and in the absence of Chairman, the Vice-Chairman shall preside at the meetings.

Note.—Fifty percent members shall form the quorum of the meeting and in the absence of quorum, the meeting shall be adjourned for an hour and shall be convened thereafter for which no quorum shall be required.

8. **Staff of the Board.**—For the performance of the functions of the State Animal Welfare Advisory Board, the State Government shall provide staff as hereunder amongst the staff sectioned for the Directorate, namely :–

(1)	Deputy Director, Veterinary Service	—	One
(2)	Assistant Surgeon, Veterinary	—	Two
(3)	Account Officer (Treasury and Accounts Services)	—	One
(4)	Assistant Grade-II	—	Two
(5)	Stenographer (Computer knowing)	—	Two
(6)	Peon	—	Five
(7)	Driver	—	Four

9. **Funds of the Board.**—The funds of the State Animal Welfare Advisory Board shall consist of the grants made by the State Government and other sources like registration fee, penalties etc and donations received from religiious institutions.

10. **Duties of the Board.**—The Board with the approval of the Sate Government shall make such rules and byelaws as it may think fit for the appropriate discharge of the administrative and financial functions.

11. **Duties of the Secretary.**—(i) The Secretary shall convence the meetings of the Board from time to time as directed by the Chairman and submit all the applications and suggestions which may be received.

(ii) Secretary shall cause to be prepared by chartered Accountant the statement of accounts of the income and expenditure of the Board and submit it before the Board.

(iii) Secretary shall prepared or cause to be prepared all the papers of the committee and shall inspect them and in case of any irregularity inform the Executive Committee.

12. **Duties of the Account Officers.**—It shall be the duty of the Accounts Officer to keep the accounts of the Board completed and to make expenditure in accordance with the sanction made in this behalf.

13. **Financial Management.**—(1) the Secretary shall keep all the amounts in the Nationalised Bank and every class of income and expenditure transaction sahll be verified by the Chartered Accountant.

(2) The operation of the accounts of the Board shall be made under the signature of the Secretary.

14. **Mode of Expenditure.**—No expenditure shall be made until the previous sanction has not been obtained, according to their respective limit, from the following namely:—

(1)	Chairman	—	Exceeding rupees one lac but not exceeding rupees three lac.
(2)	Secretary	—	Not Exceeding rupees on lac
(3)	Board	—	All sanctions

15. **Power to amend byelaws.**—Byelaws of the Board may be amended after the approval of the Chairman of the Board in the meeting of Board. If necessary, in the interest of the Board, Registrar, Firms and Societies shall have right to amend the byelaws.

16. **Dissolution.**—Dissolution of the Board may be made by three-fifth majority of the total members of the Board. After the dissolution, the movable and immovable property of the Board shall be handed over to the Institution fuctioning for the simliar object. All such proceedings shall be carried out in accordance with the provisions of the Act.

17. **Property.**—All the movable and immovable property of the Institution shall be in the name of the institution. The immovable property of the Institution shall not be earned or transferred by sale, gift or otherwise without written permission of the Registrar, Firms and Societies.

18. **Registrar to Convene the meeting.**—In case meetings are not convened annaully by the office bearers according to the registered byelaws of the Institution or if necessary, otherwise also, the Registrar shall have right to convene the meeting.

19. **Dispute.**—If any Dispute arises in the Institution, the Chairman shall have right to decide the dispute witn the permission of the Board. If the aggrived parties are not satisfied with the decisions, the matter shall be referred to the Registrar and the decision of the Registrar shall be final and binding to all.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमला अजीतवार, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.